

## GST से संबंधित कुछ ज्वलंत समस्याएं

### **1. जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन**

सरकार को अविलम्ब GST Tribunal का गठन करना चाहिए क्योंकि GST Appellate के बाद करदाताओं को सीधा उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ रहा है जिसके कारण करदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक करदाता के लिए उच्च न्यायालय में जाना संभव नहीं है।

### **2. रिटर्न संशोधन**

GST के प्रावधानों के तहत फाइल की गई रिटर्न में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारा कहना है कि भूल होना स्वभाविक है और भूल सुधार का अवसर नहीं मिलना किसी भी तरह से उचित नहीं है। GSTR 3B में संशोधन का प्रावधान किया जाना चाहिए। B2B के बजाय B2C के रूप में फाईल की गयी भूल को GSTR 1 में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

### **3. E-Way Bill में मामूली विसंगतियों के कारण ईमानदार करदाता को लाखों और करोड़ों का जुर्माना**

**मुद्दों का विवरण :** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 E-Way Bill में मामूली विसंगतियों पर बहुत अधिक जुर्माना लगता है। इससे भ्रष्ट आचरण में भी वृद्धि होती है। जुर्माना के लिए सर्कुलर नं० 64/38/2018 GST दिनांक 14.9.2018 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत विसंगतियों के लिए 500 रुपया ही जुर्माना लगाया जाना है परन्तु यह सभी लिपिकीय गलती को कवर नहीं करता है।

#### **अनुशंसा :**

- (क) उक्त सर्कुलर के दायरे को बढ़ाते हुए निम्नांकित को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए :
- (i) चालान की तिथि में त्रुटि
  - (ii) ई-वे बिल की समाप्ति (लेकिन वाहन सड़क पर था और यात्रा कर रहा था)
  - (iii) ई-वे बिल में टैक्स रेट का गलत तरीके से चुना गया लेकिन ई-वे बिल एवं ई-इनवायस पर विवरण, मूल्य और एचएसएन का सही उल्लेख किया गया है।
- (ख) अन्य लिपिकीय त्रुटि में अधिकतम जुर्माना कर राशि का 10% या 10,000/- जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए (वर्तमान में वही 100% है और इसे कम करने के बजाय, इसे बढ़ाकर 200% कर दिया गया है परन्तु इसे अभी तक प्रभावी नहीं बनाया गया है।

### **4. GST की धारा 61 के तहत रिटर्न की जाँच**

ऐसा देखने में आ रहा है कि कर अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत जाँच के क्रम में बिना किसी विसंगति को निर्दिष्ट किए हुए करदाता को नोटिस जारी की जा रही है और एक प्रकार से कर निर्धारण की प्रक्रिया के अनुरूप ही पूरे बही खाता एवं अन्य जानकारियों की मांग की जा रही है और अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा विशेषकर राज्य कर विभाग द्वारा अधिक देखने में आ रहा है। हमारा सरकार से सुझाव होगा कि बिना विसंगति को निर्दिष्ट किए हुए इस तरह की नोटिस जारी नहीं की जानी चाहिए और उक्त विसंगति के परिपेक्ष्य में ही जाँच की जानी चाहिए।

5. **जीएसटीएन पोर्टल**

यह सर्वविदित है कि जीएसटी कार्यान्वयन के शुरूआती समय में जीएसटीएन पोर्टल की कम स्पीड, खराब कार्यक्षमता एवं तकनीकी कारणों की वजह से काफी प्रेशानियाँ झेलनी पड़ी थी।

पोर्टल की वजह से जीएसटी जैसी सुन्दर कर व्यवस्था की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया था। लेकिन सब के अथव प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ समय से पोर्टल की कार्यशीलता में काफी सुधार हुआ है जो कि बहुत ही सुखद एवं सराहनीय है।

लेकिन अभी भी वांछित स्तर तक सुधार नहीं हो पाया है जिसपर और ध्यान देने की जरूरत है।

6. **अमनेस्टी स्कीम के तहत रिट्न फाईल करने पर इन्पुट क्रेडिट के दावों को स्वीकार करना**

सरकार ने अभी तक तीन बार GST में अमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन तीनों बार विलंब शुल्क में माफी की गयी लेकिन धारा 16 (4) के तहत इन्पुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया जिसकी वजह से करदाताओं में संशय की स्थिति है। सरकार को अविलंब अमनेस्टी स्कीम के तहत इन्पुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

7. **आपूर्ति के पश्चात दिए गए डिस्काउंट/इनसेंटिव पर GST की देयता**

इस संदर्भ में भी एक विस्तृत गाइडलाइन दी जानी चाहिए क्योंकि लोगों में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं रहने की वजह से विभाग के साथ मतभेद होने की संभावना रहती है।

8. **HSN Code**

पूर्व में 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले को HSN Code की बाध्यता से मुक्त रखा गया था जबकि अप्रैल 2021 से लागू नियम में उक्त छूट हटा दी गई है। HSN Code की बाध्यता 5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले लोगों पर लागू की जानी चाहिए।

\*\*\*\*\*